न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
03 / 2017	10 / 01 / 2017	19.12.2025

1. हरनारायण पुत्र श्री माधो जाति धाकड निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा

जरिए कायम मुकामः–

1/1 जगदीश प्रसाद पुत्र

1/2 चन्दा बाई पुत्री

1/3 तारा बाई पुत्री

1/4 पुष्पा बाई (बेवा मृतक हरनारायण)

प्रार्थीगण

बनाम

1. इनीफ मोहम्मद पुत्र लटूर जातियान मुसलमान निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा
2. शरीफ पुत्र लटूर जातियान मुसलमान निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा
3. इनीफा पुत्री लटूर जातियान मुसलमान निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा
4. अफरोज पुत्री लटूर जातियान मुसलमान निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा
5. रूकसाना पुत्री लटूर जातियान मुसलमान निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा
6. नूरजहाँ बेवा लटूर जातियान मुसलमान निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा
7. राज० राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री प्रद्युम्न शर्मा एड0।

अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री गिरिराज कुशवाहा एड0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा की बन्दोबस्त से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2032 की खाता स0 271 में खसरा नम्बर 14 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है। जो हैक्टर में 2.96 है० होते है। जिसके बाद बन्दोबस्त नवीन खसरा नम्बर 14 रकबा 2.65 है0 पैमूद किये गये जो गत रकबे के मुकाबले 0.31 है० का कमी रकबा कारित कर दिया गया। जबकि प्रार्थी अपने बन्दोबस्त से पूर्व रकबे अर्थात 14 बीधा 10 बिस्वा भूमि पर ही शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। बन्दोबस्त अधिकारियो को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है कि वे प्रार्थी के खाते में उक्त प्रकार से 0.31 है०, की कमी रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सैटलमेन्ट (बन्दोबस्त) अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियो को दुरूस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड में स्वयं के खाते 2.96 है० भूमि दर्ज करावे। उक्त भूमि की समीपवर्ती भूमि गत खसरा सं० 15 व 16 रकबा 11 बिस्वा (0.10है0 होती है) के बाद बन्दोबस्त नवीन खसरा स० 15 रकबा 0.32 है० पैमूद करते हुये 0.22 है० का अधिक रकबा कारित कर दिया जिसका कि सैटलमेन्ट विभाग (बन्दोबस्त) को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था। इसी प्रकार प्रार्थी के खाते की उक्त भूमि के लगवा अन्य भूमियो में भी सैटलमेन्ट विभाग द्वारा अवैध रूप से अधिक रकबा दर्ज किया हुआ है।

जिसका कि उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था एवं अप्रार्थीगण 1 ता 6 के खातेदारी में अधिक रकबा दर्ज करे। अप्रार्थी कम 7 भू धारक होने से राजस्व अभिलेखो का संधारण करते है जिनका पदीय दायित्व है कि वह राजस्व अभिलेषो का परिशुद्ध एवं यथार्थ संधारण करे। प्रार्थी के खाते की भूमि में हुई उक्त त्रुटि की दुरुस्तीकरण हेतु प्रार्थी द्वारा कई मर्तबा अप्रार्थी कम 7 से निवेदन किया जा चुका है किन्तु उनके द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही अमल में नहीं लाने पर प्रार्थी के पास इस सम्माननीय न्यायालय के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते की गत खसरा सं० 14 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा (जो हैक्टर 2.96 है० होते है) के बाद सैटलमेन्ट नवीन खसरा नं0 14 रकबा 2.65 है0 मे हुये 0.31 है० कमी रकबे की पूर्ति अप्रार्थी कम 1 ता 6 के खाते में दर्ज ख०न० 15 व 16 मे से रकबे की पूर्ति करते हुये अप्रार्थी कम 7 को कमी रकबे की पूर्ति का आदेश प्रदान किया जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी श्रीमान उचित समझे प्रार्थी को दिलवाई जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री प्रद्युम्न शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 ता 6 की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो अग्रलिखित है। नवीन ख0नं0 15 के संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर में वाद विचाराधीन जिसमें विवाधित कृषि भूमि के संबंध स्थगन आदेश जारी है इसलिए दौराने अपील 136 एलआरएक्ट प्रार्थना पत्र की कार्यवाही विड्रो की जावे तथा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी मौके पर वर्तमान रकबा के अनुसार काबिज काश्त है तथा अप्रार्थीगण भी मौके पर वर्तमान रकबा के अनुसार काबिज काश्त है, इसलिए प्रार्थी के खातेदारी में भूमि कम दर्ज की है, 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र में मौके पर काबिज होना आवश्यक है कब्जा के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योगय है। 136 एलआरएक्ट में केवल लिपिकीय त्रुटि ही राजस्व रिकॉर्ड में ठीक की जा सकती है किसी खातेदार के खाते की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में कम या ज्यादा करना 136 एलआरएक्ट प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत नहीं आता है, इसके लिए प्रार्थी को नियमित वाद पत्र पेश करना पडेगा इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट खारिज होने योग्य है। सेटलमेंट विभाग ने कब्जा के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया इसलिए सेटलमेंट विभाग ने कोई त्रुटि नहीं है, कब्जे के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है प्रार्थी द्वारा परेशान करने की दृष्टि से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज होने योग्य है। जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त जो अग्रलिखित है। प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति अप्रार्थी कम 1 ता 6 के खाते से किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व मण्डल में अपील खानलटूर बनाम खेरून निशा अपील सं0 186/2000 में दिनांक 05.09.2000 को आगामी पेशी दिनांक 24.11.2000 तक स्थगन जारी किया गया है। जि0सी0एम0एस0 के पोर्टल पर स्थिति देखने पर प्रकरण की स्थिति प्रदर्शित नहीं हो रही है। उक्त अपील में जारी स्थगन यदि आज दिनांक को प्रभावी हो तक भी राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 08.08.2000 की पालना पर ही स्थगन है। ऐसी स्थिति में प्रासंगिक स्थगन यदि बढाया भी गया होगा या आदिनांक तक प्रभावी भी होगा। तक भी राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 0.08.2000 की पालना नहीं करने से संबंधित उक्त स्थगन का हस्तगत प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी के साबिक ख0नं0 14 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा (हेक्टेयर में 2.96है0 होता है) के बजाय वाद सेटलमेंट ख0नं0 14 रकबा 2.

65है0 पैमूद किया गया जो कि साबिक से 0.31है0 कम बनाया गया है। साबिक ख0नं0 15 मि0 रकबा 11 बिस्वा जो हेक्टेयर में 0.10 है0 होता है का बाद बन्दोबस्त हाल ख0नं0 15 रकबा 0.32 है0 पैमूद किये गए जो कि साबिक के मुकाबले 0.22है0 आवक पैमूद किए गए है। तात्पर्य यह है कि बन्दोवस्त विभाग ने प्रार्थी के खातेदारी ख0नं0 में से नए खसरा नं0 पैमूद करते समय 0.31है0 की कमी की है एवं अप्रार्थी के ख0नं0 15 के नए ख0नं0 पैमूद करते समय 0.22है0 की बेशी की है। जवाब प्रा0 पत्र में अप्रार्थी ने खसरे में 0.22है0 की वृद्धि का कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बताया है एवं जवाब सरकार में भी प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति अप्रार्थीगण 1 ता 6 के खाते से किया जाना प्रस्तावित किया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा